रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1999] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934

No. 1999] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

**का.आ. 2389(अ).**— जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे इसमें इसके बाद परिषद कहा गया है) ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में दिनांक 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) दिनांक 23.08.2010 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की थीं।

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि जिस मामले में किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं अथवा उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के तहत यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उसमें केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझती है तो अधिसूचना के द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताओं में छूट प्रदान कर सकती है;

और जबकि नागालैंड राज्य सरकार ने दिनांक 9 जुलाई, 2012 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (1) के तहत परिषद द्वारा निर्धारित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत अध्यापक के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम अर्हताओं की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए नागालैंड सरकार के प्रस्ताव की जांच की है और उस पर विचार किया है;

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-03/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) दिनांक 23 अगस्त, 2010 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित अध्यापक की न्यूनतम अर्हता जहां तक इनका संबंध कक्षा I से VIII तक है, एतद्द्वारा नागालैंड राज्य सरकार को नीचे दिए अनुसार छूट प्रदान करती है:-

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक।

2. इस अधिसूचना के तहत प्रदान गई छूट 31 मार्च, 2014 तक वैध होगी और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी, अर्थात:-

(i) नागालैंड राज्य सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को दिए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी और जो व्यक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेंगे उन्हें कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा;

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन उक्त अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं का प्रावधान करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करेंगे;

(iii) राज्य सरकार नियुक्ति के मामले में उन पात्र उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे जिनके पास उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता हैं तथा उसके बाद ही इस अधिसूचना के तहत छूट दी गई अर्हता वाले अन्य पात्र उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाएगा;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति के विज्ञापन का राज्य के साथ-साथ बाहर भी व्यापक प्रचार किया जाएगा;

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगें कि उनके द्वारा नियुक्त या नियोजित अध्यापक, जिनके पास उक्त अधिसूचना यथा निर्धारित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यनतम अर्हताएं नहीं हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगें कि छूट प्राप्त मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त अध्यापक नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षो की अवधि के अंदर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे;

(vii) राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्ति तैयार करने के लिए सांस्थानिक क्षमता में वृद्धि करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2014 के बाद कक्षा I-VIII में अध्यापकों के रूप में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है; इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य में अध्यापक तैयार करने के लिए सांस्थानिक क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति तैयार करेगी और उसे एक माह के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी और इसके बाद किए गए उपायों के संबंध में प्रत्येक छह महीने में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें वर्तमान अध्यापक शिक्षा सस्थाओं में क्षमता में वृद्धि करना, नई अध्यापक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना और राज्य में अध्यापक तैयार करने की कार्यनीति कियान्वित करने के लिए किए गए अन्य उपाय शामिल हैं;

(viii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग केवल अध्यापक तैयार करने के लिए किया जाएगा तथा सेवारत वर्तमान अध्यापकों को फेस-टू-फेस पद्धति में शिक्षा डिप्लोमा (डी.एड.) अर्हता प्रदान करने के लिए नहीं किया जाएगा; तथा

(ix) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार के लिए है और धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत नागालैंड राज्य को आगे और कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

3. परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी किए गए अध्यापक पात्रता परीक्षा के दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (iii) के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक राज्य में अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित अर्हता वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे, अर्थात:-

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (अथवा समकक्ष);

(ख) कक्षा I-VIII तक के लिए स्नातक।

[फा. सं. 1 17/2010-ई.ई. 4]

वृंदा सरूप, अपर सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

### (Department of School Education and Literacy)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2012

**S.O. 2389(E).**— Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act.

And Whereas sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

And Whereas the State Government of Nagaland vide its letter dated the 9th July, 2012 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act;

And Whereas the Central Government has examined and considered the proposal of the State Government of Nagaland for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Nagaland, the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 23 of the said Act vide notification number F. No. 61-03/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010 (hereinafter referred to as the said notification in so far as they relate to classes I to VIII, namely:-

(a) two-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I to VIII; and

(b) one-year Bachelors in Education for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2014, subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government of Nagaland shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said notification in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, dated the 11th February, 2011 issued by the Council and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers as laid down by the said notification;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification and only thereafter, consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that the teachers employed or engaged by them who do not possess the minimum qualifications required for appointment of teachers as laid down in the said notification shall acquire the minimum qualifications within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that the teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only qualified persons are appointed as teachers in classes I to VIII after the 31st March, 2014; for this, purpose the State Government shall prepare a strategy for increasing the institutional capacity for teacher preparation in the State and submit the same to the Central Government within a period of one month, and thereafter, submit a report to the Central Government every six months with regard to the steps taken, including increasing capacity in existing teacher education institutions, establishment of new teacher education institutions, and other steps, to implement the strategy for increasing teacher preparation capacity in the State;

(viii)the State Government shall ensure that the District Institutes of Education and Training are utilised only for teacher preparation and not for providing Diploma in Education (D.Ed) qualification on a face-to-face mode to existing in-service teachers; and

(ix) the relaxation specified in this notification will be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 of the said Act shall be granted to the State of Nagaland.

3. The persons possessing the following qualifications shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government of Nagaland in respect of teacher appointments made in the State up to the 31st March, 2014, in accordance with sub- paragraph (iii) of paragraph 5 of the Teacher Eligibility Test Guidelines, issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011, namely :-

(a) Senior Secondary (or equivalent) with at least fifty per cent marks, for classes I to V;
(b) Graduation, for classes I to VIII.

[F. No. 1-17/2010-EE. 4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

3834 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.